

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

बनाम

मु. सं.

तारीख हुकम

२०-२-१८

भाज पत्रावली पत्र हुई वकील
 अग पत्र उपजिला तहसीलदार महवा से
 खखरा स्कीम प्राप्त हो चुकी है। वकील
 वकी को सुना गया। वकील वकी को
 खखरा स्कीम के अनुसार दावा डिडी कले
 में कोई आपसि नहीं है। अतः दाद डिडी
 किया जाता है। निस्तूह निर्णय पृथक से
 संलग्न किया गया। पत्रावली ट्रेसल मुक्त
 हो व बाद लकमील दाखिल स्फर हो
 निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
 महवा (जिला दौसा)